<u>न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 69/2019 **दायर दिनांकः 03/06/2019**

उनवान

1. रामदेव आयु 38 वर्ष पुत्र रामकल्याण जाति मीणा निवासी ढोटी।
2. राधेश्याम आयु 35 वर्ष पुत्र रामकल्याण जाति मीणा निवासी ढोटी।
3. अनिल आयु 36 वर्ष पुत्र रामकल्याण जाति मीणा निवासी ढोटी तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. रामकल्याण पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी ढोटी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. शाखा प्रबन्धक महोदय, हाडौती क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक हाल बडौदा राज0 क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुन्जैड़ तहसील जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

प्रतिवादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री नन्द सिंह राठौड़।

आदेश दिनाक : 17/06/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम व माल ढोटी तहसील अटरू जिला बारां राज0 में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 के अनुसार खाता संख्या 439 की ख0नं0 533 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 910 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 914 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 960 रकबा 0.48 है0, ख0नं0 1449 रकबा 0.77 है0 कुल किता 5 किता रकबा 1.75 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। इसी प्रकार ग्राम व माल ढोटी तहसील अटरू जिला बारां में ही मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 के अनुसार खाता संख्या 438 की ख0नं0 976 की 0.70 है0, ख0नं0 976/1794 की 0.15 है0, ख0नं0 1030 की 0.97 है0, ख0नं0 1326 की 2.05 है0 कुल 4 किता की 3.67 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित भूमि वादीगण के पिता रामकल्याण प्रति0 क्रम 1 के दर्ज खाता चली आ रही है। यह भूमि पैत्रक भूमि है। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 के परिवार का सजरा निम्न प्रकार हैः—

कन्हीराम

↓

गोपाल — मथुरा लाल(मृतक)

रामकल्याण (लाओलाद)

रामदेव राधेश्याम अनिल

वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित भूमि वादीगण के परदादा कन्हीराम के खाते दर्ज थी। कन्हीराम का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात उसके दो लडके गोपाल व मथुरालाल के दर्ज खाता थी। वादीगण के दादा मथुरालाल लाओलाद था। इसलिये उसकी मृत्यु पश्चात् मथुरालाल के हिस्से की भूमि तथा गोपाल के हिस्से की भूमि उसकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण के पिता रामकल्याण के खाते दर्ज हुई। यह भूमि पैत्रक भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से अधिकार प्राप्त है इस भूमि में वादीगण का प्रत्येक का 1/4– 1/4 कुल 3/4 हिस्सा बनता है। प्रतिवादी क्रम 1 के वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित भूमि दर्ज खाता होने से बिना पारिवारिक आवश्यकता के रहन बैचान करने पर आमादा रहता है। प्रति0 क्रम 1 ने बिना पारिवारिक आवश्यकता के प्रति0 क्रम 3 के यहां भूमि रहन रखकर ऋण प्राप्त कर रखा है। वादीगण में भूमि को भारमुक्त करवाकर उनका हिस्सा 3/4 पर दिनांक 28.05.2019 को खाते दर्ज करवाने का प्रति0 क्रम 1 से निवेदन किया तो उसने इन्कार कर दिया। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 के अवैध कृत्य को रोका जाना सम्भव नहीं है। अस्तु वादीगण वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित भूमि के हिस्सा 3/4 के खातेदार कृषक घोषित होकर उनके हिस्सेनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में सु बुरी का बंटवारा करवाकर अपना हिस्सा पृथक खाते दर्ज करवाकर इसका अंकन राजस्व रिकार्ड में करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादी क्रम 1 ने प्रतिवादी क्रम 3 हाडोती क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुन्जैड़ से ऋण प्राप्त कर रखा है। इसलिये उन्हें पक्षकार बनाया गया है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उसे प्रतिवादी क्रम 2 बनाया गया है। राजस्थान सरकार को धारा 80 सी0पी0सी0 का कानूनी नोटिस प्रेषित किया जाना आवश्यक है लेकिन राजस्थान सरकार को नोटिस प्रेषित कर उसकी अवधि समाप्ति का इन्तजार किया गया तो प्रतिवादी क्रम 1 खाते में अपना नाम होने का दुरूपयोग कर वाद पत्र में वर्णित भूमि को रहन, बैचान कर देगा जिससे अनेकानेक विवादों में उलझना पडेगा। मामला आवश्यक प्रकृति का होने से धारा 80 (2) सी0पी0सी0 का अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय की इजाजत से वाद पेष है। वाद कारण दिनांक 28.05.2019 को वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 से वाद पत्र में वर्णित पैत्रक भूमि में उनका हिस्सा पृथक खाते दर्ज करवाने से मना करने पर बमुकाम उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम व माल ढोटी तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि निम्न आशय की डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें किः–

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित भूमि के हिस्सा 3/4 पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित कर उनके हिस्सेनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का बंटवारा करवाकर उनका हिस्सा पृथक खाते दर्ज कर इसका अंकन राजस्व रिकार्ड में करवाया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया, तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई, वादीगण 1 ल 3 व प्रतिवादी कम 1 स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम एवं माल ढोटी तहसील अटरू मे खाता संख्या 439 की 5 किता रकबा 1.75 है0 भूमि तथा खाता संख्या 438 की 4 किता रकबा 3.87 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। जो पैत्रक भूमि है जो वादीगण के पिता राजमकल्याण के खाते दर्ज चली आ रही है। वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 के मध्य निम्न प्रकार से राजीनामा हो गया है।

1. वादीगण रामदेव राधेश्याम अनिल पुत्रगण रामकल्याण के खाते स्वामित्व एवं हिस्से में निम्न भूमि रहेगी।

खाता संख्या	**खसरा नं0**	**रकबा**
439	533	0.18
	910	0.14
	914	0.18
	960	0.48
	1449	0.77
	5 किता	रकबा 1.75 है0
438	976	0.70
	976/1794	0.15
	1326	2.05
	3 किता	रकबा 2.90 है0

कुल 8 किता रकबा 1.75+2.90=4.65 है0 भूमि वादीगण के स्वामित्व एवं कब्जे में रहेगी।

2. प्रतिवादी कम 1 रामकरण पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी ढोटी के स्वामित्व कब्जे, हिस्से में निम्न भूमि रहेगी।

खाता	**ख0नं0**	**रकबा**
438	1030	0.97

भूमि प्रतिवादी कम 1 के स्वामित्व एवं कब्जे मे रहेगी।

3. उक्त भूमि बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुंजेड के रहन थी जो दिनांक 15.06.2019 को रहन मुक्त हो चुकी है जिसकी नकल संलग्न है।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 के मुताबिक राजीनामा डिकी पारित की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल करवावें। राजीनामा पढकर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया गया वादीगण की पहचान श्री भगवान स्वरूप मंगल एड0 व प्रतिवादीगण की पहचान श्री नन्द सिह राठौड़ एडवोकेट द्वारा की गई। राजीनामा बाद तस्दीक शा0फा0 किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ग्राम ढोटी की खाता संख्या 439 की ख0नं0 533 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 910 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 914 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 960 रकबा 0.48 है0, ख0नं0 1449 रकबा 0.77 है0 कुल किता 5 किता रकबा 1.75 है0 व ग्राम ढोटी की खाता संख्या 438 की ख0नं0 976 की 0.70 है0, ख0नं0 976/1794 की 0.15 है0, ख0नं0 1030 की 0.97 है0, ख0नं0 1326 की 2.05 है0 कुल 4 किता की 3.67 है0 भूमि प्रति0 कम 1 के दर्ज खाता चली आ रही है। शपथ पत्र अनुसार पैत्रक सम्पत्ति है, तथा शपथ पत्र अनुसार प्रतिवादी कम 1 के वादीगण वारिसयान है। अतः आपसी सहमति से राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

—ःक्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आपसी सहमति से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी आपसी सहमति से ग्राम ढोटी की खाता संख्या 439 किता 5 रकबा 1.75 है0 व ग्राम ढोटी की खाता संख्या 438 का ख0नं0 976 रकबा 0.70 है0 ख0नं0 976/1794 रकबा 0.15 है0 ख0नं0 1326 रकबा 2.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.90 है0 में वादी कम 1 ल 3 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। शेष भूमि प्रतिवादी कम 1 रामकल्याण के हिस्से में खाता सं0 438 ख0नं0 1030 रकबा 0.97 है0 रहेगी। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 69/2019

उनवान

1. रामदेव आयु 38 वर्ष पुत्र रामकल्याण जाति मीणा निवासी ढोटी।
2. राधेश्याम आयु 35 वर्ष पुत्र रामकल्याण जाति मीणा निवासी ढोटी।
3. अनिल आयु 36 वर्ष पुत्र रामकल्याण जाति मीणा निवासी ढोटी तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. रामकल्याण पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी ढोटी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. शाखा प्रबन्धक महोदय, हाडौती क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक हाल बडौदा राज0 क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुन्जैड़ तहसील जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 आर.टी.एक्ट</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू...............X..............................

बहाजिर :–

वादीगणः–   विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।
प्रतिवादीगणः–   विद्वान अभिभाषक श्री नन्द सिंह राठौड़।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी आपसी सहमति से ग्राम ढोटी की खाता संख्या 439 किता 5 रकबा 1.75 है0 व ग्राम ढोटी की खाता संख्या 438 का ख0नं0 976 रकबा 0.70 है0 ख0नं0 976/1794 रकबा 0.15 है0 ख0नं0 1326 रकबा 2.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.90 है0 में वादी कम 1 ल 3 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। शेष भूमि प्रतिवादी कम 1 रामकल्याण के हिस्से में खाता सं0 438 ख0नं0 1030 रकबा 0.97 है0 रहेगी। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X......................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 17.06.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2019.07.23 13:48:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: